



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052025-263016
CG-DL-E-10052025-263016

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2013]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

No. 2013]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2058(अ).—राष्ट्रपति, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्य कांत को 14.05.2025 से प्रभावी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत करते हैं।

[फा.संख्या. ए-60011/44/2015-एलएपी (न्याय)]

राज कुमार गोयल, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Department Of Justice)****NOTIFICATION****New Delhi, the 9th May, 2025**

S.O. 2055(E).—In exercise of the powers conferred under Clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Legal Services Authorities Act, 1987, the President is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India, as Executive Chairman, National Legal Services Authority, with effect from 14.05.2025.

[F.No. A-60011/44/2015-LAP(JUS)]

Raj Kumar Goyal, Secy.